सं०सं०-स०क०स्था०(मु०)-144/2024-..4541 13.8.2026

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

-:: आदेश ::-

बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक-7ए/एकीकृत69वीं स०(मु०)प्र०प०-01-04/2023 (31) लो०से०आ०/गो० दिनांक-23.12.2024 द्वारा कुल-10 उम्मीदवारों को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई। उक्त के आलोक में प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु विभाग में उपस्थिति हुए कुल-8 उम्मीदवारों को समाज कल्याण विभाग के अधिसूचना सं0-4255 दिनांक-22.05.2025 द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद पर वेतनमान-53,100-1,67,800 लेवल-9 (पुनरीक्षित) में नियुक्त करते हुए अलग-अलग बाल विकास परियोजना कार्यालय में पदस्थापित किया गया एवं अधिसूचना निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अंदर योगदान समर्पित करते हुए विभाग को सूचित करने का निदेश दिया गया। परंतु 02 अभ्यर्थी अधिसूचित पद पर योगदान नहीं दिये, जिसकी सूची निम्नवत है :-

क्र०	अभ्यर्थी का नाम (गृह जिला)	मेधा क्र०/ रौल नं0	जन्म तिथि	पत्राचार का पता	अधिसूचित परियोजना
1	श्री रजनीकांत चौबे, (गृह जिला-कैमूर)	4/307751	16.08.1997	ग्राम-सकरौली, पोस्ट-बरहुपर, थाना+अनुमंडल -मोहनियाँ, जिला-कैमूर (भभुआ), पिन कोड-821109	नरपतगंज (अररिया)
2	श्री रोहित राज आनंद (गृह जिला-पटना)	23/158484	27.11.1989	कैसर महल, पंच मंदिर, चकबिंडा, नियर रोड नं०-17, गर्दनीबाग, पटना, पिन कोड-800002	ठकराहाँ (पश्चिम चम्पारण)

अधिसूचित पद पर योगदान नहीं करने की स्थिति में श्री चौबे को विभागीय पत्रांक-5537, दिनांक-19.07.2025 एवं पत्रांक-1137 दिनांक-25.02.2026 तथा श्री आनंद को विभागीय पत्रांक-5541 दिनांक-18.07.2025 एवं पत्रांक-1136 दिनांक-25.02.2026 द्वारा अधिसूचित पद पर योगदान करने हेतु अंतिम अवसर इस शर्त के साथ दिया गया कि भविष्य में योगदान हेतु इसके बाद कोई मौका नहीं दिया जायेगा एवं इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। परंतु इसके बावजूद इन पदाधिकारियों द्वारा अधिसूचित पद पर अब तक योगदान नहीं किया गया है।

मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक-3131-A दिनांक-05.04.1955 की कंडिका-1(I) के अनुसार आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशंसा/सिफारिश किये जाने की तारीख से उसकी वैद्यता एक वर्ष से अधिक नहीं रहती है। इस मामले में आयोग द्वारा दिनांक-23.12.2024 को किये गये अनुशंसा की अवधि एक वर्ष से अधिक हो चुकी है। अतएव इस मामले के सम्यक विचारोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा इन पदाधिकारियों का बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद से Candidature अंतिम रूप से निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव उपरोक्त तालिका क्रमांक-1 एवं 2 में अंकित अधिसूचित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों का बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद से Candidature अंतिम रूप से निरस्त किया जाता है। भविष्य में इनका बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद पर दावा मान्य नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

13/08/26

उप सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स०क०स्था०(मु०)-144/2024-...4541...... पटना, दिनांक-....13.8.2026....

प्रतिलिपि :- ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो हार्ड कॉपी एवं सी०डी० सहित बिहार राज्य पत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

13/08/26
उप सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स०क०स्था०(मु०)-144/2024-...4541...... पटना, दिनांक-....13.8.2026....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण/अररिया/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण/अररिया /जिला कोषागार पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण/अररिया/ माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव/श्री रजनीकांत चौबे, अधिसूचित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, **पत्राचार का पता**-ग्राम-सकरौली, पोस्ट-बरहुपर, थाना+अनुमंडल -मोहनियाँ, जिला-कैमूर (भभुआ), पिन कोड-821109/श्री रोहित राज आनंद, अधिसूचित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, **पत्राचार का पता**-कैसर महल, पंच मंदिर, चकबिंडा, नियर रोड नं०-17, गर्दनीबाग, पटना, पिन कोड-800002 /आई0टी0 प्रबंधक, समाज कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/08/26
उप सचिव,
समाज कल्याण विभाग।